

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 12321 / 2503

दिनांक :- 30/10/18

कार्यालय आदेश

श्री /श्रीमती / सुश्री सनी देओल महावर [लिंक न. 12321] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर - [20179] को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 09/07/2018 से 04/08/2018 तक 27 दिवस

कुल 27 दिवस

उक्त कुल 27 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री /श्रीमती / सुश्री सनी देओल महावर की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे।

(मंजुला शर्मा)
निदेशक

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 12321 / 2503

दिनांक :- 30/10/18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर
2. कोषाधिकारी जयपुर
3. श्री /श्रीमती / सुश्री सनी देओल महावर [12321] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली

(शिल्पी कौशिक)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)